# Students unsure, experts wary

Uncertainty to hit Fall intake; university may become precedent for Ivy League

SANKET KOUL

New Delhi, 6 June

Students and education consultancies are concerned that the Donald Trump administration's recent actions against Harvard University could possibly set a precedent for action against other

However, a federal judge on Thursday temporarily blocked a proclamation by President Donald Trump that banned foreign students from entering the US to attend the University. US District Judge Allison Burroughs in Boston issued a temporary restraining order against Trump's Wednesday proclamation, Harvard, she said. had demonstrated it would sustain "immediate and irreparable injury" before she would have an opportunity to hear from the parties in the lawsuit.

Despite the order, experts say students are not sure of the US administration's next move. The uncertainty is set to affect the upcoming Fall intake in August.

Kajal Dave, co-founder of LaunchEd, said that the move likely affected thousands of international students currently applying or planning to study in the US, casting uncertainty over their academic futures

"While the order specifically targets Harvard, it may set a troub-



- Precedent for action against other universities if they stand against Trump's orders
- Policy flip-flops expected to affect the upcoming Fall intake in Harvard in August
- Govt-Academia tussle could create confusion, uncertainty among students
- Discretionary power to revoke F, M and J visas for students already in US could affect

Mosaic, said that the move raises

concerns, not only for incoming

students but also for the broader

international student community

scholars across its schools. Of

these, 788 — the second-largest

cohort — are from India, according

to university data. China tops the

Department of Homeland Security

(DHS), the move comes after Har-

vard allegedly refused to provide

foreign students involved in pro-

test activities. "Admission into the

US to attend, conduct research, or

on

certain

However, according to the US

list with 2,126 students.

international

information

Harvard currently hosts 10,158

students and

among students and universities education consultancy firm Career nationwide about the stability of international education policies. she added.

The tussle comes amid an escalating dispute between the Trump administration and higher education institutions, especially Harvard. The administration had last month banned foreign students' admission to the university, an order that was also blocked by a federal court.

This was followed by the US State Department ordering all its consular missions and embassies overseas to begin social media vetting of visa applicants looking to travel to Harvard University for

Abhijit Zaveri, founder and ling precedent, raising fears director of Ahmedabad-based teach at our nation's institutions of

granted by our government, not a guarantee," the proclamation signed by Trump stated. It added that this privilege is

necessarily tied to the host institution's compliance and commitment to following federal law. "Harvard University has failed in this respect, among many others," it alleged.

higher education is a privilege

While the suspension of visas applies to foreigners wanting to attend Harvard University through the student and exchange visitor programme (SEVP) after the date of the proclamation, it would be the secretary of state's discretion if the visas of foreign nationals currently attending Harvard on F, M, or. I visa should also be revoked.

Highlighting that this section of the proclamation raises serious concerns about fairness and due process, Dave said the move could abruptly disrupt the lives and studies of students already residing in the US.

Zaveri added that the possibility of reviewing and revoking existing academic or exchange visas adds to the uncertainty for those already enrolled. "However, students are being informed in advance, and in some cases, may be advised to consider transferring or seeking admission to alternative institutions, depending on the guidance issued by relevant author-

## Didn't run away: Mallya defends himself after 9 yrs



NANDINI SINGH New Delhi, 6 June

Fugitive businessman Vijay Mallya opened up for the first time in nine years about the fall of Kingfisher Airlines, the allegations against him, and his life in exile. Speaking on a podcast hosted by YouTuber Raj Shamani, Mallya issued a rare public apology to his former employees, while firmly denying any wrongdoing and saying that he

Pushing back against the public

perception of him being a criminal, he said, "Call me a fugitive for not going to India post-March [2016]. I didn't run away. I flew out of India on a pre-scheduled visit. I did not return for reasons that I consider are valid," he said.

He began the podcast by revisiting the collapse of Kingfisher Airlines, blaming the 2008 global financial crisis for triggering a chain of events that led to the airline's downfall.

"Every sector was hit. The money stopped. It got dry. The value of the Indian rupee also took a hit," he said.

In a widely circulated clip from the podcast, Shamani asked Mallya what he would say to the former Kingfisher employees who lost their jobs and still hold resentment. Mallya responded with an apology. "I would say I am deeply sorry for what happened to them. I would say that I am deeply sorry that some of them didn't get paid their salaries. I have no excuses to offer. I take full responsibility," he said.

# Aubrey Menen's search for identity

AMRITESH MUKHERIEE

The soul of humanity lies in contradictions. We are as charged with kindness as beset with cruelty, as quick to judge as yearning to be heard, and as mindless in existence as reflective in every moment. Aubrev Menen, the British writer whose satirical retelling of the Ramayana. Rama Retold was banned in India in 1955, was a man who knew how to capture those contradictions. It feels fitting, then, that his two autobiographies, republished recently, have polar perspectives on identity and nationality. Or perhaps, as Menen might say with a wink, it's all part of the fun.

The first, Dead Man In the Silver Market, scans the political and cultural theatre of his lineage, exposing the vanity of national pride and the illusion of inherited superiority. In contrast, The Space Within the Heart written in 1970, withdraws into stillness, inspired by the Upanishads, to interrogate the meaning of existence itself. One looks externally. The other excavates and excavates until there's nothing left.

Published in 1953, Dead Man in The Silver Market begins as an excavation of Menen's mixed heritage: Born to a Kerala Nair father and an Irish nurse mother, a "Eurasian." As he wades through memories of caste and empire, he begins to see the overlap between cultures that claim to be irreconcilable. Whether it's his orthodox Nair grandmother or his English headmaster, both want him to set an example. Both want him to live up to the ideal specimen (whether

With biting wit, Menen maps the universality of exclusion. The British oli-**BOOKS &** garchy, for example, was a small number of families who between them shared all the seats


**IDEAS** 

as a Nair descendant or a

British kid).

in Parliament, all the Offices of the Crown, all the high posts in both the universities, all the bishoprics, both archbishoprics, all other wealthy ecclesiastical positions, and all sinecures whatsoever... and as a caste system it far surpassed anything devised by the Indians... or the subtlety of the Chinese."

Then there's the Jibaro nation, of Puerto Rico, whose every member "is devoted to the national task of cutting off the organs of generation



A Stranger in Three Worlds: The Memoirs of Aubrey Menen

Published by Speaking Tiger 280 pages ₹499

of their male enemies." He similarly writes about his Indian family, which firmly adhered to caste hierarchies and traditions, believing "the Hindus were undoubtedly the most civilised race on Earth." The details may differ, but the impulse to dominate recurs.

As the book's opening line goes, "Men of all races have always sought for a convincing explanation of their own astonishing excellence, and they have frequently found what they were looking for." It signals what's to come — a fearless and farcical examination of pride, prejudice, and the grand delusions nations peddle.

From the narrow lanes of London to the rainlashed forests of Malabar and the sacred ghats of Benares, Menen identifies the shared delusion of grandeur and collective virtue. He writes in the concluding chapter: "There are no national virtues. We are alone, each one of us. If we

are good, we are good ourselves. If we are bad, the virtues of others will not make us better. We cannot borrow morals. They are ours or they do not exist for us."

That inquiry into finding his identity goes deeper in The Space Within the Heart, as he secludes himself in a Roman quarter. He writes about the Upanishads and his experience reading them, a text, "though reverenced in the West, really not much read in India. The

average Indian prefers the Bhagavad Gita, a beautiful poem in which the Lord Krishna teaches us the noble lesson that we must do our duty to society."

Menen peels away at himself slowly, like one unlayering a metaphorical onion: Discarding the inherited judgements, the caste labels, the expectations carved by society's hands. What remains is his innermost self, what the Upanishads call the atman, or as he calls it, "the space within the heart." Yet, unlike so many spiritual memoirs, there are no epiphanies here, no cinematic awakenings. Only stillness. Through dialogue, he demonstrates his interactions with his atman:

> "And what do you see now?" 'It is no solution to the problem.'

'There is no solution in other people at all. You find it in yourself, or nowhere."

The Space Within the Heart circles, meanders, sinks, and surfaces each fragment peeling back another layer of Menen's life — his first love, a mother's disturbing affection, his journey through the Catholic faith. Woven into these are passing conversations and cerebral reflections. like cigarette smoke curling around a dinner table, wry recollections of his contemporaries, from VP Menon to Maynard Keynes.

Read side by side, these autobiographies map a mind in flux, refusing to belong, to settle, to perform. While Dead Man in the Silver *Market* is a sharp satire about the hypocrisies of caste, empire, and inherited pride, The Space Within the Heart asks who we are without the scaffolding of identity. A rare vulnerability and clarity of thought marks both works. Both are written with the conviction of someone who knows that to be honest is to be precise.

We live in accelerating times: Nationalism rising on the back of insecurity, our lives fragmented by screens and schedules, our thoughts outsourced to algorithms. We scroll, consume, and compete, barely stop ping to breathe. In such times, Menen's writing urges one to step back, reevaluate priorities, embrace our contradictions, and find a space uncolonised by noise: The space within the heart.

The reviewer is a journalist, writer, and editor fascinated by the stories that shape our world. Instagram/X: aroomofwords

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune- 411 005.

Bank of Maharashtra invites sealed tender offers (Technical bid and Commercial bid) from eligible and reputed bidders /service providers for "RFP-18/2025-26 for Supply, Installation, Testing and Commissioning of Retractable Screens in Board Room at Corporate Office, Mont Claire, Baner-Pashan Link Road, Bank of Maharashtra

The detailed tender document is available on tender section of Bank's website: https://www.bankofmaharashtra.in and Govt. e-Market place (GeM) portal https://gem.gov.in/ w.e.f. 05.06.2025 with following

RFP Ref No.: RFP 18/2025-26

ue Date for Bid Submission: 16.06.2025

Interested bidders may download the RFP document from above mentioned sites. All further updates related to tenders will also be available on GeM Portal. Bank reserves the right to cancel or reschedule the RFP process without assigning any reason.

Date: 05.06.2025

General Manager, Information Technology

Cosmo First 🔷

#### Ahead Always **COSMO FIRST LIMITED**

Regd. Off: 1st Floor, Uppal's Plaza, M-6, Jasola District Centre, New Delhi -110025 CIN: L92114DL1976PLC008355 Tel: 011-49494949 Fax: 011-49494950 E-mail: investor.relations@cosmofirst.com, Website: www.cosmofirst.com NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

SUBJECT: REMINDER TO CLAIM THE DIVIDENDS REMAINING UNPAID/ UNCLAIMED AND TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE IEPF AUTHORITY Shareholders are hereby informed that pursuant to the provision of Section 124(6) of

the Companies Act, 2013 ("the Act") read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules) and subsequent amendment thereto, the dividend declared for the financia year 2017-18, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited the IEPF on or after September 09, 2025. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as pe the procedures set out in the rules.

The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is specific orde of Court/tribunal restraining transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

In compliance to the IEPF Rules, the company has communicated individually to the concerned shareholders and details of shares liable to be transferred to IEPF are also available on our website. Shareholders concerned may refer to the weblink https://www.cosmofirst.com/investors/shareholders-information to verify the details of their shares liable to be transferred to IEPF authority.

Shareholders are requested to claim the dividend declared for the financial year 2017 18 and onwards before the same is transferred to the IEPF.

Concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the Demat account of the IEPF. Shareholders may note that both unclaimed dividend and shares once transferred to IEPF authority can be claimed from the IEPF authority after following the procedures prescribed under the IEPF Rules (refer the IEPF website http://www.iepf.gov.in) and no claim shall lie against the company. In case the Company does not receive any communications from the concerned shareholders on or before August 31, 2025, the Company shall credit those shares dividend with the IEPF authority. Kindly note that all future benefits, dividends arising

on such shares would also be transferred to IEPF authority. For any queries on the subject matter, you may e-mail us a investor.relations@cosmofirst.com or contact the Company's Registrar and Transfel Agent, Alankit Assignments Limited at 4E/2, Alankit House, Jhandewalan Extension

For Cosmo First Limited Jyoti Dixit Place: New Delhi Date: June 07, 2025 Company Secretary



## ORIENT GREEN POWER COMPANY LIMITED

Regd. Office: Bascon Futura SV. 4th Floor, No.10/1 Venkatanarayana Road, T.Nagar, Chennai – 600017
Corporate Identification Number (CIN) - L40108TN2006PLC061665
Visit us at: www.orientgreenpower.com E-mail: complianceofficer@orientgreenpower.com

### NOTICE OF 18TH ANNUAL GENERAL MEETING INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting (18th AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Monday, June 30, 2025 at 1.00 p.m IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (Listing Regulations), read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circulars and SEBI Circulars issued in this regard and latest being Circular no. 09/2024 dated September 19, 2024 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024, respectively (collectively referred to as "relevant circulars") to transact the businesses set forth in the Notice convening the AGM. The members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at www.evotingindia.com. Members participating in the meeting through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the 18th AGM and Annual Report 2024 - 2025 has been sent on June 06, 2025 to the members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the website of the Company i.e. http://orientgreenpower.com/annual-report.asp, and the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e., https://www.bseindia.com and https://www.nseindia.com also on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com.

As per Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. ('SEBI Listing Regulations'), the letter mentioning web-link including the exact path, where complete details of the Annual Report are available, is being sent to those member(s) who have not registered their email address(es) either with the Company or with any Depository or Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing the facility to its members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on Monday, June 23, 2025 (cut-off date) for casting their votes electronically on each item as set forth in the Notice of AGM through the electronic voting system provided by CDSL. The voting rights of members shall be in proportion to their shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e., June 23, 2025.

M/s. M. Alagar & Associates, Practising Company Secretaries (Firm Registration no.P2011TN078800), Chennai as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process via remote e-voting and e-voting at the 18th AGM in a fair and transparent manner. Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Information and instructions including details of the User ID and Password is given in the Notes to the Notice of the AGM. The same login credentials may be used for attending the AGM through VC/OAVM. Detailed process and manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email address is provided in the Notes to the AGM Notice.

The remote e-voting period commences on Friday, June 27, 2025 (10.00 a.m. IST) and ends on Sunday, June 29, 2025(5.00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. During the remote e-voting period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date Monday, June 23, 2025, may cast their votes electronically. The votes once cast by the members, cannot be changed or cancelled. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after despatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e., May 30, 2025, may obtain the UserID and Password by following the procedure given in the notes to the Notice of the AGM. If the member is already registered with CDSL for e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

The register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Monday, June 23, 2025 to Monday, June 30, 2025 (both days inclusive) for the purpose of 18th AGM of the Company.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting through CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

For Orient Green Power Company Limited

Place : Chennai Date: 06.06.2025

M Kirithika Company Secretary FCS No. 9811

## **Allied Digital Services Limited**

allied digital

(CIN:L72200MH1995PLC085488)

Regd. Office: 808, 8° Floor, Plot No. 221/222, Mafatlal Centre,
Vidhan Bhavan Marg. Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Tel : 022-66816400; Website : www.allieddigital.net; Email : cs@allieddigital.net / investors@allieddigital.net

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended on March 31, 2025

			(	INR in Lakhs)		
		Quarter ended				
Particulars Particulars	31st March 2025 (Refer Note 11)	31st December 2024 (unaudited)	31st March 2024 (Refer Note 11)	31st March 2025 (Audited)		
Total income from operations (net)	24,188	22,286	17,690	85,167		
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,098	2,007	1,880	6,077		
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,098	2,007	1,880	6,077		
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(746)	1,771	1,410	3,226		
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(836)	1,806	1,162	3,100		
Paid up equity share capital (Face value of INR 5/- each, fully paid up)	2,819	2,791	2,765	2,819		
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	_	_	_	57,357		
Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations)						
Basic	-1.42	2.97	2.53	4.98		
Diluted	-1.42	2.92	2.46	4.91		

	quarter erraeu					
Particulars	31 <sup>st</sup> March 2025 (Refer Note 11)	31st December 31st Marc 2024 2024 ) (unaudited) (Refer Note		31st March 2025 (Audited)		
Total income from operations (net)	13,581.00	10,078.00	8,309.00	40,458.00		
Profit before Tax	1,088.00	621.00	933.00	2,972.00		
Profit after Tax	3,183.00	594.00	681.00	4,337.00		

The Group is engaged in the business of IT & ITeS Services, Global Managed Service Provider and Systems Integrator, offering the entire spect of infrastructure solutions and services to clients across 70 countries.

The above audited consolidated financial results have been prepared in the format specified in Division II of Schedule III of Companies Ac 2013 (the "Statement") and are, being submitted by the Company pursuant to the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016, prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 ("the Act") read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

The statement of consolidated financial results of Allied Digital Services Limited ("Holding Company") which includes the financial information of 11 subsidiaries and its interest in Associates, has reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on June 05, 2025. The statutory auditors have issued modified opinion on the financial results for the quarter and year ended March 31, 2025. The financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 were audited by erstwhile statutory auditors.

The Group has applied its significant accounting policies in the preparation of these financial results consistent with those follo financial statements for the year ended March 31, 2025. Certain errors pertaining to prior period balances were identified during the current financial year. These errors have been rectified and accounted in the current financial year. As a result, this has led to non-compliance of requirements of IND-AS 8 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors".

During the earlier years, the Holding Company had extended a loan to its wholly owned subsidiary, Allied Digital Inc. However, the amount was inadvertently classified under "Investments." This classification error was identified during the current year and the balance has accordingly been reclassified from "Investments" to "Loans and Advances." As a result of this reclassification, a foreign exchange gain of Rs. 4809 lakh, pertaining to earlier periods, has been recognised in the Statement of Profit and Loss during the current year.

During the year, the Company restated year end balances of certain forex monetary items, as a result of which a foreign exchange loss of Rs. 2,048 lakh, has been recognised in the current year.

An income of Rs. 736 lakh pertaining to earlier years, has been recognised in the current year, as the amount classified as defer inadvertently not accounted for in those years.

An amount of Rs. 693 lakh has been adjusted in the current year on account of short/excess depreciation charged in previous periods. This aros from an incorrect estimation of the useful life of certain property, plant & equipment.

A loss of Rs. 766 lakh arising from the sale of a property, plant & equipment in earlier years had remained unrecognised due to an error, which ha now been accounted for in the current financial year. The auditor opinion is modified in respect of this matter. The Holding Company has extended interest-free loans to certain companies in earlier years, resulting in non-compliance with Section 186(7) of the Companies Act, 2013, which stipulates that no loan shall be given at an interest rate lower than the prevailing yield of Government Securities corresponding to the tenor of the loan. The outstanding amount as on March 31, 2025, is Rs. 11,625 lakh, including Rs. 11,000 lakh to its wholly owned subsidiary, on account of reclassification of investment amount to loan and advances, during the previous year. The management is of the view that no interest has been charged on these loans/advances as they were extended to support the working capital requirements, facilitate further investments, and ensure the liquidity of the respective related party companies. The auditor opinion is modified in respect of this matter.

Due to unavoidable circumstances, the consolidated financial results could not be approved in the meeting held on May 30, 2025. Conse there was a delay in filing the consolidated financial results, resulting in non-compliance with Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations. The auditor opinion is modified in respect of this matter.

The Group is in the process of reconciling a difference of approximately Rs. 610 lakh between the input tax credit (ITC) available as per the GS' portal and the ITC recorded in the books of accounts of the Holding Company. This reconciliation is currently underway and will be addressed in ducourse. The auditor opinion is modified in respect of this matter.

The disclosure in terms of Ind - AS 108 "Operating Segment", as specified u/s 133 of the Companies Act, 2013 is attached as Annexure A

 Pursuant to the exercise of Employee Stock Options under various Employee Stock Options Schemes, the Holding Company has allotted 157,175
and 10,87,400 Equity Shares to the employees during the quarter and year ended March 31, 2025 respectively. The figures for the quarter ended March 31, 2025 and the quarter ended March 31, 2024 reflect the differences between the financial year and published unaudited accounts of the nine months period ended December 31, 2024 and nine months period ended December 31

12. In December 2023, a cyber incident at one of our existing customer's infrastructures disrupted operations and resulted in a \$6M indemnification claim against one of the subsidiary companies in December 2024. The incident stemmed from prior data leakage before our engagement. Lega negotiations are underway to validate the claim amount, and management anticipates minimal financial impact as it is sufficiently covered by insurance. The said customer continues to avail of services from the said subsidiary company.

13. The Board of Directors in their meeting held on May 30, 2025 have proposed a final dividend of Rs. 1.50 per equity share for the year ended March 31, 2025 subject to the approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting. 14. The results for the quarter and year ended March 31, 2025 are available on the BSE Ltd website, www.bseindia.com, NSE Ltd website, www.nseindia.com and on company's website www.alliedigital.net.

15. Previous period / year figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform to the current period / year classifications For and on behalf of Board of Director

















Home First Finance Company India Limited

CIN: L65990MH2010PLC240703,

Website: homefirstindia.com
Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप निम्नवर्णित कर्जदार ने तालिका में वर्णित सम्पत्ति बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया है और आप निम्नवर्णित ऋण अनुबंध के संबंध में कर्जदार / सह—कर्जदार गारंटर हैं। आपके द्वारा की गई चुकों के फलस्वरूप आपका ऋण खाता वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 (संक्षेपतः सरफासी ऐक्ट) के प्रावधानों के तहत दिनांक 05.04.2025 को अनार्जक आस्ति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है। हम, होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड ने सरफासी ऐक्ट की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(13) के तहर मांग सूचना आपके द्वारा प्रस्तुत पते पर जारी की थी। उक्त सूचनाएं 03.06.2025 को जारी की गई हैं और इन सूचनाओं में बयान किया गया है कि आपने आपको मंजूर किए गए विभिन्न ऋणों के मुगतान में चूक की है। अतएव, सूचना की तामील के लिए यह सूचना सरफासी ऐक्ट की धारा 13(2) के प्रावधोन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधान के

निबन	धनों में प्रकाशित की जा रही है :		
क्र. सं.	खाता, कर्जदार(रों), एवं गारंटर(रों) का नाम और पता	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	मांग सूचना की तिथि तक कुल बकाया राशि + आगे का ब्याज और अन्य खर्चे (रू. में)
1.	(मृतक) के अन्य कानूनी प्रतिनिधि	प्लॉट सं. 67 और 68, खसरा सं. 1614, कृष्ण विहार कॉलोनी, ग्राम सलेमपुर महदूद 2, परगना रुड़की, तहसील और जिला हरिद्वार, नगर निगम हरिद्वार के बाहर, हरिद्वार, उत्तराखंड, 249403 सीमाएं: पूर्व-प्लॉट सं. 67 का हिस्सा, पश्चिम-प्लॉट सं. 68 का हिस्सा, उत्तर – अन्य का मकान, दक्षिण–18' चौड़ा रास्ता	
	\\ \\ \\ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		- 4 AA + a A - A - A - A - A - A - A - A - A - A

आपसे एतदद्वारा होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड को उक्त बकाया राशि का भुगतान ब्याज और लागत के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर करने की मांग की जाती हैं, जिसमें असफल रहने पर, होन फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड उक्त अधिनयम के प्रावधानों के तहत सभी अधवा किसी एक अथवा अधिक प्रतिभूतियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी जिसमें कर्जदारों बंधकदाताओं और गारंटरों की प्रतिभत आस्तियों का कब्जा लिया जाना सम्मिलित है। होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड को उक्त अधिनियम के तहत उपलब्ध शक्तियों ने निम्न सम्मिलित हैं (1) कर्जदारों / गारंटरों की प्रतिमृत आस्तियों का कब्जा लेना, जिसमें प्रतिमृत आस्तियों के नकदीकरण हेतु उनको लीज, बिक्री हेतु समनुदेशन द्वारा हस्तांतरित करने का अधिकार सम्मिलित है (2) प्रतिभूत आरित का प्रथम अधिग्रहीत करना, जिसमें उनको लीज, बिक्री हेतु सम्पन्धिया हारा हस्तांतरित करने और प्रतिभूत आरितयों के नक्दीकरण का अधिकार सम्मिलित है और होते प्रतिभूत और प्रतिभूत आरितयों के नक्दीकरण का अधिकार सम्मिलित है और होते प्रतिभूत आरितयों के संबंध में वे सभी अधिकार निहित होंगे, जो आपके द्वारा किए गए प्रतिभृतियों के हस्तांतरण में निहित हो

उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के निबन्धनों में. आपको एतदद्वारा उपरिसंदर्भित और होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड के पास दिष्टवंधक / बंधक किसी भी प्रतिभति आफ्त को बिक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से (आपके व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया को छोड़कर), होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड की पूर्व सहमति के बिना हस्तांतरित करने के संबंध में प्रतिबंधित किया

हस्ताक्षरकर्ता : प्राधिकृत अधिकारी, होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड तिथि : 07.06.2025

HDFC BANK

We understand your world

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

द्वितीय तल. शॉपर स्टीट हाइपर मार्केट, लैंड मार्क कल्याणी व्य बस स्टैंड के पास, रुद्रपुर, उत्तराखंड, पिन- 263153

प्रलेखों के अनुसार तथा साइट के अनुसार

मापन तथा सीमा विवरण

प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तिः के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (द्वितीय) अध्यादो 2002 (2002 का अध्या. 3) के अंतर्ग

और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति

के प्रयोगांतर्गत एक माँग सूचना दिनाँकित 26–03–2025 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता / गारंटर (1) श्री

अधिलेश चंद्र भारद्वाज पुत्र रुद्री दत्त भारद्वाज, निवासी— फ्रेंड्स कॉलोनी तल्ली हल्द्वानी नैनीताल— 2003 उत्तराखंड, भारत (उचारकर्ता), (2) श्रीमती लता भारद्वाज पत्नी श्री अखिलेश चंद्र भारद्वाज, निवासी— फ्रेंड्स

कॉलोनी तल्ली हल्ह्वानी नैनीताल- 283139, उत्तराखंड, भारत (सह-उचारकर्ता) को, सूचना में अंकित राशि, रु. 53,02,928.94/- (रुपये तिरेपन लाख दो हजार नी सौ अद्वाईस और चौरानबे पैसे मात्र) का, उक्त सूचना

की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता निर्धारित राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता तथ

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त

नेयमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदर्

उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि

संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई भी लेन–देन, **रु. 53,02,928.94/– (रुपये तिरेपन लाख दे** 

हजार नौ सौ अञ्चाईस और चौरानबे पैसे मात्र) की एक राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेतु एचडीएफसी बैंक

खसरा नं. 20केएवए मिन. 19 मिन. का भाग जो उत्तर— गूर्गल / दीगर शाखों की भूमि, दक्षिण— हीरा राम की भूमि

ग्राम- हल्द्वानी तल्ली पार भावर छा खाता तहसील— वर्ग मीटर। मापन प्रलेखों के अनुसार :- पूर्व- कॉलोनी रोड

हल्द्वानी जिला– नैनीताल, पश्चिम– बिष्ट जी का घर, उत्तर– यासीन का घर, दक्षिण– हीरा राम

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः एलआरपीजी, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, उ०प्र०-२०१००५

**कळ्जा सूचना (**अचल सम्पत्ति के लिए) परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] देखें

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा

प्रतिभृति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के तहत

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया. एलआरपीजी शाखा साहिबाबाद. गाजियाबाद का प्राधिकत

अधिकारी होने तथा प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ

पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ताः **श्री वीरेंद्र प्रसाद** 

पुत्र श्री स्वर्गीय देव नाथ प्रसाद और सह–उधारकर्ताः श्रीमती चिता देवी पत्नी श्री

वीरेंद्र प्रसाद को मांग सूचना दिनांक 30.01.2025 को जारी किया था जिसमें सूचना

में उल्लेखित राशि रु. 4,83,562.16 (रु. चार लाख तिरासी हजार पाँच सौ बासठ और पैसे सोलह मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर

प्रति भुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदुद्वारा उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 04.06.2025 को ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता तथा जनसाधारण को एतदूद्वारा उक्त संपत्ति के

साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी

लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, **एलआरपीजी शाखा, साहिबाबाद, गाजियाबाद** के

प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **4,83,562.16 (रु. चार लाख तिरासी हजार पाँच** 

**सौ बासठ और पैसे सोलह मात्र)** और उस पर ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत

| सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसमें रिहायशी फ्लैट नं. जीएफ-4. कवर्ड

एरिया 200 गज आवासीय कॉलोनी एस.एल.एफ. वेद विहार जोकि प्लॉट नं. ए-48,

खसरा नंबर 1278. हदबस्त गांव लोनी. उप डिवीजन और तहसील लोनी. जिला

गाजियाबाद यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्री वीरेंद्र प्रसाद पुत्र श्री स्वर्गीय देव नाथ

प्रसाद के नाम पर है, मूल बिक्री विलेख के अनुसार, श्री वीरेंद्र प्रसाद पुत्र श्री स्वर्गीय

देव नाथ प्रसाद के पक्ष में, क्र.सं. 782, बही नं. 1, जिल्द नं. 19562, पेज नंबर

345-384 दिनांक 10/01/2012 के तहत

सीमाबद्धः

संपत्ति का विवरणः

उत्तरः प्लॉट नं. ए-49

पूर्वः प्लॉट नं. ए-57

थानः गाजियाबाद तेथिः 04/06/2025

की भूमि। स्वामी का नाम :- श्री अखिलेश चंद्र भारद्वाज

शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **06-06-2025 को अधिग्रहण कर लिया है।** 

का पता

पिन- 263139

दिनाँक : 06-06-2025, स्थान : बरेली

Cosmo First 👌

### Ahead Alway

कोस्मो फर्स्ट लिमिटेड पंजी. कार्या.: प्रथम तल, उप्पल्स प्लाजा, एम-६, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-11002! CIN: L92114DL1976PLC008355 फोनः 011—49494949 फैक्सः 011—49494950 ई-मेलः investor.relations@cosmofirst.com, वेबसाइटः www.cosmofirst.com

#### कंपनी के शेयरधारकों के लिए सूचना विषयः अप्रदत्त / अदावाकृत लाभांश के दावे के लिए रिमाइंडर और आईईपीएफ प्राधिकारी को इक्विटी शेयरों का अंतरण

शेयरघारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकर (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम) और उसके अधीन अनुवर्ती संशोधन के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124(6) व प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2017—18 के दौरान घोषित लाभांश जो सात वर्षों की अवधि से अदावाकृत है, उसे 09 सितम्बर, 2025 को या उसके बाद आईईपीएफ के पास जमा किया जाएगा। संगत शेयर जिन पर निरंतर सात वर्षों की अवधि के लिए लाभांश अदावाकृत है, उन्हें भी नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अंतरित किया जाएगा।

कंपनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित नहीं करेगी जहां ऐसे शेयरों के अंतरण पर किसी भी न्यायालय/अधिकरण ने रोक लगाने का विशेष आदेश दिया हो या जहां शेयर डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 के अधीन रेहन / बंधक हैं।

आईईपीएफ नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने ऐसे सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचन भेज दी है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने वाले ऐसे शेयरों का विवरण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने वाले अपने शेयरों के विवरणों के सत्यापन के लिए वेब-लिंक https://www.cosmofirst.com/investors/shareholders-informatic

शेयरधारकों से अनुरोध है किया जाता है कि आईईपीएफ को ऐसे किसी अंतरण से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उससे आगे की अवधि के दौरान घोषित लामांश का दावा कर लें

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर भौतिक प्रारूप में घारित है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हे उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे शेयरों के जारी होने पर कंपनी डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डिमेट प्रारूप में बदलने और आईईपीएफ के पक्ष में अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत है, बाद में स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और गैर-विनिमेय माने जाएंगे।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में है. कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ के डिमेट खाते में शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। शेयरघारक कृपया नोट करें कि अदावाकृत लाभांश एवं शेयर एक बार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने के बाद आईईपीएफ नियमों (आईईपीएफ वेबसाइट http://www.iepf.gov.in देखें) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दावा कर सकते हैं और इस संबंध में कंपनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 31 अगस्त, 2025 तक या उससे पर्व कोई सचना प्राप्त नहीं होती है जो कंपनी ऐसे शेयरों / लाभांश को आईईपीएफ प्राधिकरण के पास जमा कर देगी। कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरों पर भविष्य में उपार्जित सभी लाभ, लाभांश भी आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिये जाएंगें।

इस विषय में किसी भी पछताछ के लिए आप investor relations@cosmofirst.com पर ई-मेल भेज सकते हैं या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, अलंकित एसाइमेंट्स लिमिटेड, 4ई/2 अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110055, ई-मेल: rta@alankit.com र

सम्पर्क कर सकते हैं। कते कोस्मो फर्स्ट लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 07 जून, 2025 ज्योति दीक्षित

## भवाना शुगर्स लिभिटेड सीआईएन: L74100DL1961PLC003413

पंजीकृत कार्यालय : 5वाँ तल, कीर्ति महल, 19 राजेंद्र एकेस, नई दिल्ली- 110 125 द्रुरभाष : 91-11-25739103, फैक्स : 91-11-25743659, ईमेल : corporate@mawanasugars.com, वेबसाइट : www.mawa

#### 61वीं वार्षिक आम बैठक, रिकॉर्ड तिथि और ई-वोटिंग की सूचना प्रेषण समापन के संबंध में जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की **61वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शनिवार,** जून, 2025 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) का एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार, कारोबार करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी ने एजीएम की सूचना वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2024–25 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ 5 जून, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी है. जिनके ई-मेल कंपनी या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल) / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ सामूहिक रूप से (डिपॉजिटरी) के साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") के 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 को इस संबंध में जारी पहले के परिपत्रों और सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2024 / 133 दिनांक 3 अक्टबर 2024 के अनुसार पंजीकृत हैं।

इसके अलावा, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सचीबद्धता विनियम") के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए वेबलिंक और क्युआर कोड प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा गया है जिन्होंने अपनी

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सचिवीय मानक (एसएस-2) के अनुपालन में, सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों के मतदान अधिकार 21 जून, 2025 ("कट-ऑफ दिनांक") के अनुसार कंपनी की प्रदत्त समता अंश पूंजी में उनके द्वारा धारित समता अंशों के अनुपात में होंगे।

... कंपनी अपने सभी सदस्यों को सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई—वोटिंग सुविध ('रिमोट ई–वोटिंग') प्रदान कर रही है, जो एजीएम की सूचना में निर्धारित है। सदस्यों के पास रिमोट ई-वोटिंग सविधा का उपयोग करके किसी भी प्रस्ताव पर अपना वोट डालने या एजीएम के दौरान वोट करने का विकल्प है। एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। रिमोट ई—वोटिंग अवधि **बुधवार, 25 जून, 2025** को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और शुक्रवार, 27 जून, 2025 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल दारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले प्रस्तावों पर रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे प्रस्तावों पर फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

भौतिक रूप से शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति पैन–केवाईसी पूरा होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। पैन–केवाईसी पूरा करने के लिए, कृपया फॉर्म आईएसआर–1, आईएसआर2 (यदि हस्ताक्षर आरटीए/कंपनी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं) को आरटीए अर्थात मास सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-।।, नई दिल्ली-110020 को भेजें।

व्यक्तिगत शेयरधारक जो डीमैटरियलाइज्ड मोड में प्रतिभूतियां रखते हैं और जो कंपनी के शेयर प्राप्त करते हैं और सूचना भेज जाने के बाद कंपनी के सदस्य बनते हैं और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखते हैं. वे एजीएम की सचना में उल्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं।

निदेशक मंडल ने ई—वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए मैसर्स निर्भय कुमार एंड एसोसिएट्स (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 2441/2022), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।

निदेशक मंडल ने 24 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 10% यानी रु. 10/- प्रति इक्विटी शेयर के रु. 1/- की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यदि बैठक में लाभांश को मंजूरी मिल जाती है, तो इसका भुगतान घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में शनिवार, 21 जून, 2025 ('रिकॉर्ड तिथि') को कारोबारी समय की समाप्ति पर दिखाई देते हैं और उन मामलों को प्रभावी करने के बाद, जो 21 जून 2025 तक ट्रांसिमशन/ट्रांसपोजिशन के लिए आरटीए द्वारा प्राप्त हुए हैं, स्रोत पर कर कटौती के अधीन, जहां भी लाग हो। सेबी के 16/03/2023 के परिपत्र के अनुसार भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में लाभांश का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार शेयरधारक को फिर से सलाह है कि वे सूचना में दिये गये अनुदेशानुसार अपने पैन-केवाईसी और बैंक विवरण पंजीकृत करें।

किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए प्रायः पछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते है या evoting@nsdl.com पर (पल्लवी महात्रे) को एक अनुरोध भेज सकते हैं।

एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2024—25 कंपनी की वेबसाइट www.mawanasugars.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।



स्थान : गुरुग्राम

दिनाँक : 6 जून, 2025

कृते मवाना शुगर्स लिमिटेड हस्ता. /-(अशोक कुमार शुक्ला) कंपनी सचिव एसीएस : 29673



Home First Finance Company India Limited CIN: L65990MH2010PLC240703,

Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप निम्नवर्णित कर्जदार ने तालिका में वर्णित सम्पत्ति बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया है और आप निम्नवर्णित ऋण अनुबंध के संबंध में कर्जदार/सह–कर्जदार गारंटर हैं। आपके द्वारा की गई चूकों व फलस्वरूप आपका ऋण खाता वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गंठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेपतः सरफासी ऐक्ट) के प्रावधानों के तहत दिनांक 03–06–2025 को अनार्जक आस्ति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है। हम, होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड ने सरफासी ऐक्ट की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(13) के तहत मांग सूचना आपके द्वारा प्रस्तूत पते पर जारी की थी। उक्त सूचनाएं 03-06-2025 को जारी की गई हैं और इन सूचनाओं में बयान किया गया है कि आपने आपको मंजूर किए गए विभिन्न ऋणों के मुगतान में चूक की है। अतएव,

क. सं.	खाता, कर्जदार(रों), एवं गारंटर(रों) का नाम और पता	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिमूति का विवरण	मांग सूचना की तिथि तक कुल बकाया राशि + आगे ब्याज और अन्य खर्चे (रू. में)
1.	मनीष भारद्वाज, राकेश कुमार भारद्वाज	मकान—मकान नं—8, जो ग्राम घरौँदा, नीम का बांगर, पटपड़गंज, खसरा नंबर —490/106, ग्राम पटपड़गंज इलाका शाहदरा, दिल्ली, नई दिल्ली—110091 की लाल डोरा आबादी डीईएच में स्थित है। चौहद्दी — उत्तर : सम्पत्ति का शेष भाग, पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : गली, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति	12,14,943
2.	रचना, अमित कुमार	पलैट—एसएफ—1, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 1, खसरा नंबर 1585, बिरजा कालोनी, ग्राम रईसपुर, परगना डासना, गाजियाबाद (उ.प्र.), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—210103, चौहद्दी — उत्तर : प्लॉट नंबर 2, पूर्व : 19' चौड़ी सड़क, पश्चिम : सतेंद्र फौजी और संगीता का मकान, दक्षिण : 27' चौड़ी सड़क।	15,05,913
3.	सलमा सिद्दीकी, रिजवाना परवीन, फैजान सिद्दीकी	फ्लैट-टी-3, बैक साइड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर बी-1/115, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-2, एलएचएस, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-2 ग्राम भोपुरा परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद (यूपी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005, चौहददी — उत्तर : प्लॉट नंबर-बी 1/114, पूर्व : 30 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : प्लॉट नंबर-बी 1/118, दक्षिण : प्लॉट नंबर-बी 1/118	11,45,945
4.	स्वर्गीय संजय पालिया (मृतक), ज्योति, स्वर्गीय संजय पालिया (मृतक) के अन्य कानूनी प्रतिनिधि	प्लॉट नंबर आई—7, ब्लॉक आइ, सुंदरम रॉयल एन्क्लेव, खसरा नंबर 508, अच्छेजा, केआरबीएल राइस मिल के पास, परगना एवं तहसील—दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 203207, चौहददी — उत्तर : प्लॉट नंबर आई—8, पूर्व : रोड 22' चौड़ी, पश्चिम : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : प्लॉट नंबर आई—6	11,34,743
5.	मान सिंह, कैलाश कंवर	पलैट—82—बी, स्कीम केसर वाटिका, माचवा, कलवार रोड, जयपुर, राजस्थान—302012, चौहद्दी — पूर्व : प्लॉट नंबर 82 और 82—ए, पश्चिम : प्लॉट नंबर 83, उत्तर : प्लॉट नंबर 81, दक्षिण : सड़क 30 फीट	11,05,219
6.	अनीता देवी, विक्रम सिंह	रो हाउस—प्लॉट नंबर 178, सुकीर्ति विहार—9, ग्राम टांटियावास, जयपुर, जयपुर, राजस्थान—303701, चौहद्दी — पूर्व : अन्य, पश्चिम : सड़क 30 फीट, उत्तर : प्लॉट नंबर 179, दक्षिण : प्लॉट नंबर 177	7,08,896
7.	नरेश कुमार, बेबी	प्लॉट नंबर—41 के भाग पर मकान, खसरा नंबर—1460, वार्ड नंबर—59, विशाल एन्वलेव सीतापुर, परगना, ज्वालापुर तहसील और जिला हरिद्वार, नगर निगम हरिद्वार के अंतर्गत, हरिद्वार, उत्तराखंड, 249407, चौहद्दी — पूर्व : प्लॉट नंबर—41 का पूर्वी भाग, पश्चिम : रास्ता 20', उत्तर : रास्ता 18', दक्षिण : प्लॉट नंबर—42	16,55,560
8.	सुरेश कुमार यादव, सुमन देवी	हाउस—5, बालाजी विहार, सिरसली, तहसील आमेर, जयपुर, जयपुर, राजस्थान—302028, चौहद्दी — पूर्व : प्लॉट नंबर 4, पश्चिम : अन्य भूमि, उत्तर : सड़क 30 फीट, दक्षिण : अन्य भूमि	10,70,820
9.	नीतीश कुमार शर्मा, मुन्नी देवी	प्लॉट नंबर 16 पर मकान, खसरा नंबर 632, माही निवास, ग्राम-धूम मानिकपुर, तहसील-दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, जीबी नगर, उत्तर प्रदेश, 203207, चौहद्दी — उत्तर : प्लॉट नंबर 15, पूर्व : सड़क 16' चौड़ी, पश्चिम : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : प्लॉट नंबर 17.	8,53,226
10.	पूजा, गौरव शर्मा	प्लॉट नंबर 213 का आवासीय भाग, क्षेत्रफल परिमाप 50 वर्ग गज (उत्तर की ओर का भाग), एमयू नंबर 55, किला नंबर 22, 23/1/2, 23/2, 58//1, 2, 55//8/1, 8/2, 13, 18, 21/2, वाका मौजा ऊंचा गांव, हिर बिहार, तहसील बल्लभगढ़, जिला एफ, फरीदाबाद, हरियाणा, 121004, चौहद्दी — पूर्व : 18 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति, उत्तर : 24 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : प्लॉट का भाग	18,53,311
11.	अतेंद्र कुमार, निशिका., रेखा चोपड़ा	पलैट-पलैट नंबर एसएफ 1, द्वितीय तल, छत्त के अधिकार के साथ (फ्रंट आरएचएस), प्लॉट नंबर ए-88, ब्लॉक-ए, खसरा नंबर 348, रेल विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102, चौहद्दी — उत्तर : प्लॉट नंबर ए-79, पूर्व : प्लॉट नंबर ए-87, पश्चिम : प्लॉट नंबर ए-89, दक्षिण : 30' चौड़ी सड़क।	16,18,901
12.	शबनम, इरशाद सलमाने	पलैट नंबर-एफएफ-1, प्रथम तल आरएचएस, प्लॉट नंबर 37, खसरा नंबर 76, सुदामापुरी कालोनी (कृष्णा वाटिका), ग्राम ढूंडाहेड़ा, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201008, चौहद्दी — उत्तर : प्लॉट नंबर 38, पूर्व : 20' चौड़ी सड़क, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति।	10,69,045
13.	राजीव, विनीता	रो हाउस—मकान नंबर 43, खसरा नंबर 43, मकान नंबर 43, खेत नंबर 43 मिन, वाके ग्राम—फुलसुंगी (महालक्ष्मी एन्क्लेब फेज—2) तहसील—रूद्रपुर, जिला—उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, रूद्रपुर, उत्तराखंड—263153, चौहद्दी — पूर्व : बनखड़ी फेज—2, पश्चिम : 90 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर : प्लॉट नंबर 44, दक्षिण : प्लॉट नंबर 42	25,11,039
14.	मयंक कुमार, सुनीता देवी	आवासीय प्लॉट नंबर 50, खसरा नंबर 451, कनिष्क एन्क्लेव, ग्राम रावली महदूद, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार, नगरपालिका शिवालिक नगर के बाहर, हरिद्वार, उत्तराखंड—249403, चौहद्दी — पूर्व : प्लॉट नंबर 49, पश्चिम : प्लॉट नंबर 51, उत्तर : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : रास्ता 25' फीट	11,76,307
15.	निशा देवी, छोटू राम जोगी	रो हाउस—प्लॉट नं. 83, हनुमान एन्क्लेव, स्थित : कालख, जोबनेर रोड, जयपुर, राजस्थान—302012, चौहद्दी — उत्तर : प्लॉट नं. 83—ए, पूर्व : रोड 30', पश्चिम : प्लॉट नं. 45 और 48, दक्षिण : सड़क	7,71,301
16.	मुजफ्फर हसन कुडुसी, नजहत परवीन	सम्पत्ति खाता नंबर 1058 (फसली 1396 से 1401), खसरा नंबर 282, क्षेत्रफल परिमाप 45.56 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 283, क्षेत्रफल परिमाप 13.92 वर्ग मीटर, कुल क्षेत्रफल 59.48 वर्ग मीटर, मौजा भारूवाला ग्रांट, परगना केन्द्रीयदून, देहरादून, उत्तराखंड, 248001, चौहद्दी — उत्तर : विक्रेता की भूमि साइड 40', पूर्व : 16 फीट चौड़ी सड़क साइड 16', परिचम : विक्रेता की भूमि साइड 40'	11,42,258
17.	हरप्रीत सिंह, नीलम कौर	प्लॉट-गाटा नंबर 354 मिन, चक नंबर 100, प्लॉट नंबर 207, खिबडिबा, बिलासपुर, खसरा नंबर 354 मिन, चक नंबर 100, प्लॉट नंबर 207 सम्राट कालोनी ग्राम डिबडिबा, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर उत्तर प्रदेश —, बिलासपुर, उत्तर प्रदेश-244923, चौडदी — पूर्व : प्लॉट नंबर 192 मुकीर (45 फीट), परिचम : 6 मीटर चौड़ी सड़क (45 फीट), उत्तर : प्लॉट नंबर 208 मुकीर (20 फीट) (20 फीट)	20,01,749
18.	भूपेन्द्र सिंह, मुकेश कुमार, प्रिया कश्यप	प्लॉट नंबर 32 पर आवासीय मकान, खसरा नंबर 24, साईं घाम कालोनी पीएच-4, ग्राम सुल्तानपुर माजरी, परगना ज्वालापुर तहसील और जिला हिरद्वार, नगर निगम हिरद्वार के बाहर, हिरद्वार, उत्तराखंड, 249407, चौहद्दी – पूर्व : रास्ता 18' चौड़ा, पश्चिम : प्लाट नंबर-40, उत्तर : प्लाट नंबर-31, दक्षिण : प्लाट नंबर-33	21,31,221
19.	सुनील कुमार, रानी	आवासीय फ्लैट नंबर 02 भू तल, प्लॉट नंबर 28 का हिस्सा, खसरा नंबर 4/4, ग्राम भोपतवालान कलां, हरिद्वार, परगना ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वार, नगर निगम हरिद्वार, हरिद्वार, उत्तराखंड, 249411 के अंदर, चौहद्दी — पूर्व : शशि रानी का फ्लैट, पश्चिम : पुनयदेव की सम्पत्ति, उत्तर : आम रास्ता, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति	24,13,621
20.	जीत लाल, सरस्वती देवी	खसरा नंबर 29 पर आवासीय प्लॉट, ग्राम जमालपुर कला, परगना ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वार, नगर निगम हरिद्वार के बाहर, हरिद्वार, उत्तराखंड-249404, चौहद्दी — पूर्व : रास्ता 9' चौड़ा, पश्चिम : बिरजू मास्टर की सम्पत्ति, उत्तर : सत्यपाल की सम्पत्ति, दक्षिण : विक्रेता का प्लॉट	10,52,797
21.	कमल सैनी, नीरज	मकान—खसरा नंबर 17 मिन, वाके मौजा नंदरामपुर, तहसील काशीपुर, जिला उघमसिंह नगर, काशीपुर, उत्तराखंड—244713, चौहददी — पूर्व : रोड 20 फीट चौड़ी, पश्चिम : आराजी दीगर व्यक्ति, उत्तर : आराजी दीगर व्यक्ति, दक्षिण : आराजी शारदा देवी	7,65,648
22.	अर्जुन, ओमवीरी	आवासीय खसरा नंबर 777, करबा झबरेड़ा बाहर हदूद, नगर पंचायत परगना मंगलौर, मोहल्ला गुलाबनगर रुड़की (अंदर हदूद नगर निगम रुड़की) परगना और तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, हरिद्वार, उत्तराखंड, 247665, चौहद्दी — पूर्व : विक्रेता का खुला प्लॉट/43.4 फीट, पश्चिम : 18 फीट चौड़ी सड़क/43.4 फीट, उत्तर : गल/23.5 फीट, दक्षिण : 16 फीट चौड़ी सड़क/23.5 फीट	13,22,745
23.	नरेन्द्र दास, रजनी कुमारी	प्लॉट नंबर-60 के भाग पर स्थित आवासीय मकान, खसरा नंबर-461, कनिष्क एन्क्लेव, ग्राम रावली महदूद, परगना, ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार, नगर पालिका के बाहर, शिवालिक नगर, हरिद्वार, उत्तराखंड, 248403, चौहद्दी – पूर्व : प्लॉट नंबर-49, परिवम : प्लॉट नंबर-61, उत्तर :शस्ता 20' चौड़ा, दक्षिण : अन्य का मकान।	10,92,785

मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, होंम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी अध्या किसी एक अथवा अधिक प्रतिभूतियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवार्ह करेगी जिसमें कर्जदारों बंधकदाताओं और गारंटरों की प्रतिभत आस्तियों का कब्जा लिया जाना सम्भिलित है। होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड को उक्त अधिनियम के तहत उपलब्ध शक्तिय में निम्न सम्मिलित हैं (1) कर्जदारों / गारंटरों की प्रतिभृत आरेतयों का कब्जा लेना, जिसमें प्रतिभूत आस्तियों के नकदीकरण हेतु उनको लीज, बिक्री हेतु समनुदेशन द्वारा हस्तांतरित करने का अधिकार सम्मिलित है (2) प्रतिभूत आस्ति का प्रबंधन अधिग्रहीत करना, जिसमें उनको लीज, बिक्री हेतु समनुदेशन द्वारा हस्तांतरित करने और प्रतिभूत आस्तियों के नकदीकरण का अधिकार सम्मिलित है और होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए प्रतिभृतियों के हस्तांतरण में हस्तांतरित प्रतिभृत आस्तियों के संबंध में वे सभी अधिकार निहित होंगे, जो आपके द्वारा किए गए हस्तांतरण में निहित

उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के निबन्धनों में, आपको एतदुद्वारा उपरिसंदर्भित और होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड के पास दृष्टिबंधक /बंधक किसी भी प्रतिमृति आरित को बिक्री. लीज अथवा अन्य प्रकार से (आपके व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया को छोड़कर), होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड की पूरब सहमति के बिना हस्तांतरित करने के संबंध प्रतिबंधित किया जाता है।

स्थान : एनसीआर, राजस्थान, पश्चिमी सत्तर प्रदेश तिथि : 07-06-2025

हस्ताक्षरकर्ता : प्राधिकत अधिकारी होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड



दक्षिणः प्लॉट नं. ए-47

पश्चिमः सङ्क

## Home First Finance Company India Limited

CIN: L65990MH2010PLC240703.

Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

परिशिष्ट-IV-ए (नियम 8(6) का परंतुक देखें)

अचल सम्पत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण<sup>े</sup>तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रय हेतु ई—नीलामी

एतद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में कालम (ii) के अनुसार कर्जदार(रों) तथा सह–कर्जदार(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित कालम (iii) के अनुसार निम्न विवरणित अचल सम्पत्तियां, जिनका होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे विवरणितानुसार अपनी बकाया राशियों और ब्याज की वसूली करने के लिए भौतिक कब्जा कर लिया गया है, और चूंकि बकाया राशियों का प्रतिभुगतान करने में उनकी विफलता के परिणामस्वरूप अब अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत उक्त संपत्ति / यों के विक्रय द्वारा बकाया राशियों की वसूली करने का प्रस्ताव रखते हैं अतः इनका संपत्तियों का विक्रय यहां नीचे विवरणितानुसार "जैसी हैं जहां है", "जैसी हैं जो हैं" और "वहां जो कुछ भी हैं" आधार पर किया जाएगा। होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड को देय—भुग्तेय कालम (i) के अनुसार कर्जदार(रों)

તથા	सह—कजदार(रा) स बकाया र	ाश की वसूली के लिए नीलामी का संचालन 🗥	आनलाइन हागा।		202				711		7.1
क्र. सं.	कर्जदार(रों) तथा सह-कर्जदार(रों) का नाम	सम्पत्ति पता		मांग सूचना की तिथि	मांग कब्जा सूचना की तिथि थे राशि		बाजार मूल्य	ईएमडी राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी का नम्बर
1.	अश्वनी कुमार गर्ग, सुनीता गर्ग	पलैट नंबर जीएफ 104, रियर एलएचएस साइड पोर्शन, प्लॉट नंबर— सी 1/10, डीएलएफ अंकुर विहार, ग्राम सादुल्लाबाद, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिनकोड—201102		03-10-2023	16,70,631	23-05-2025	13,77,000	1,37,700	08-07-2025 (11am-2pm)	06-07-2025 (upto 5pm)	8957446032
		ई—नीलामी सेवा प्रदाता	ई—नीलामी वेबसाइट / विवरणों, अन्य नियमों एवं शर्तों के लिए		खाता संः ईएमडी, जमा कराने के लि		N.	शाखा कोड	आईएफएससी	लामार्थी का नाम	A -
हेल्पला संपर्क	कम्पनी नाम : ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज लि. (ऑक्शन टाइगर) हेल्पलाइन नंबर : 079–35022160 / 149 / 182 संपर्क हेतु व्यक्ति : राम शर्मा – 8000023297 ई–मेल आईडी : ramprasad@auctiontiger.net तथा support@auctiontiger.net		http://www.homefirstindia.com https://homefirst.auctiontiger.ne	et	912020036268117 होम फर्स्ट फाइनेंस लिमिटेड— एक्सिस बैंक लि.,		पुरब	UTII	B0000395	प्राधिकृत अधिकारी होम फर्स्ट फाइनैंर कम्पनी इंडिया लि	ī

बो**ली वृद्धि राशि — रू. 10,000/—,** विक्रय जो होगा वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेब पोर्टल (https://homefirst.auctiontiger.net) पर उपलब्ध ई—नीलामी मंच के माध्यम से होगा। ऑनलाइन ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी विक्रय के सामान्य नियमों एवं शर्तों से समाविष्ट ई-नीलामी निविदा प्रलेख पोर्टल साइट पर उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, यहां संपत्ति/यों पर कोई ऋणभारां नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पूरब नीलामी पर रखी गई संपत्ति/यों के ऋणभारों, नामाधिकार तथा संपत्ति को प्रमावित करनेवाले दावों /अधिकारों /बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं की स्वतंत्र जांच—पड़ताल कर लेनी चाहिए। ई—नीलामी विज्ञापन होम फर्स्ट की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी अभिवेदन को संस्थापित नहीं करता और संस्थापित करता हुआ नहीं माना जाएगा। संपत्ति का विक्रय होम फर्स्ट को ज्ञात अथवा अज्ञात समस्त विद्यमान एवं भावी ऋणभारों के साथ किया जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभृत ऋणदाता किसी भी प्रकार किसी तृतीय–पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। विक्रय जो होगा वह वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगा। **किसी विसंगति की स्थित में सूचना का अंग्रेजी पाठ प्रामाणिक माना जाएगा।** 

सरफासी ऐक्ट. 2002 के तहत बिक्री के संबंध में 30 दिन का काननी नोटिस

कर्जदारों / गारंटरों को एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई—नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ मांग सूचना में अंकितानुसार राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी / विक्रय कर दिया जाएगा और शेष बकाया राशियों, यदि कोई हों, की वसली ब्याज एवं लागत के साथ की जाएगी।

दिनांक : 07-06-2025 स्थान : एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड